नन्दू कुमार-मूर्ति मंदिर आदि 55/17

| दिनांक | आज्ञा पत्र | |
|---|---|---|
| 14.8.24 | **पत्रावील पेश । अपील अपीलांट....खारिज.... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।**<br>भू-प्रबन्ध अधिकारी एव<br>पदेन राजस्व अपील अधिकारी<br>सीकर | |

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 55/2017

1 नन्दु कुमार पुत्र जवाहरमल जाति जाट निवासी पुरा बड़ी जिला सीकर राज.
।

अपीलांट

बनाम

1 मूर्ति मंदिर श्री रघुनाथी जी महाराज वाके ग्राम दूजोद तहसील धोद जिला सीकर चिर अव्यस्क महन्त चतुर्भुज दास चेला भगवान दास जाति ब्राह्मण निवासी दूजोद तहसील धोद जिला सीकर। मृतक

1/1 महावीर प्रसाद पुत्र चेला चतुर्भुज दास जाति ब्राह्मण निवासी दूजोद जिला सीकर।

2 राजस्थान ग्रामीण बैंक बजाज रोड़, सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक

3 भूमिधारी तहसीलदार धोद सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी
धोद दिनांक 03.01.2017

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री भागीरथमल जाखड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजय सिंह तंवर, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री कैलाश स्वामी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 14.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा नम्बर 1205/2015 में पारित निर्णय दिनांक 03.01.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के एक आवेदन पत्र दफा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद में प्रस्तुत किया था जिस पर विचारण न्यायालय ने अपीलांट को कोई सुनवाई का अवसर दिये अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 185 तन दूजोद की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे मनमाने तरीके से बिना कानूनी प्रावधानों के नया रास्ता कायम किया है। इससे व्यथित होकर धारा 5 के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि निर्णय जैर अपील देने से पूर्व विचारण न्यायालय ने अपीलांट को समूचित सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया तथा न ही कोई जवाब व बहस हेतु अवसर दिया आर्डरशीट में बिना अपीलांट को सूचना व तारीख पेशी बताये मनमाने आधार पर आदेशिका लिखकर बयानात के आधार पर गलत निर्णय किया है। अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 185 तन दूजोद में पूर्वी सीमा के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सहारे कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा है तथा न मौके पर मौजूद है, रेस्पोडेन्ट के खेत में आवागमन के लिए अन्य रास्ते मौके पर मौजूद है, फिर भी विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपीलांट के खेत में से गलत रास्ता निकालने का गलत निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने डीएलसी रेट के आधार पर राशि का कोई निर्धारण नहीं किया है इस लिए कानूनी प्रावधानों के तहत ऐसे निर्णय की बिना राशि निर्णय के पालना नहीं की जा सकती है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत है। अतः अपील प्रस्तुत पर श्रीमानजी से निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय एसडीओ धोद दिनांक 03.01.2017 निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रार्थी मूर्ति मन्दिर श्री रूघनाथ जी महाराज वाके ग्राम दूजोद तहसील धोद की ओर से जरिये महन्त आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्त. अधिनियम न्यायालय में पेश होने पर अप्रार्थीगण को तलब किया गया अप्रार्थीगण की ओर से जवाब न आने पर जवाबदेही का अवसर बन्द किया गया। नियमानुसार मौका रिर्पोट तहसीलदार धोद से मंगवाई गयी जो प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गयी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन शपथ पत्र पेश कर मौका रिपोर्ट एवं राजस्व रिकार्ड से यह साबित है कि प्रार्थी मूर्ति मन्दिर की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 229 रकबा 2.44 हैक्टेयर खसरा नम्बर 238 रकबा 2.48 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 4.92 हैक्टेयर वाके ग्राम पुराबड़ी में आने जाने हेतु सबसे छोटा रास्ता खसरा नम्बर 185 रकबा 1.96 वाके ग्राम दूजोद की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे मौका रिपोर्ट के मुताबिक उचित एवं न्यायोचित है प्रार्थी की भूमि के अन्य कोई रास्ता नहीं लगता है इस कारण मौका रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थी की खातेदारी की भूमियों पर आने जाने रास्ता दिये जाने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचाराधीन निर्णय देने से पूर्व विचारण न्यायालय ने अपीलांट को समूचित सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया तथा न ही कोई जवाब व बहस हेतु अवसर दिया आर्डरशीट में बिना अपीलांट को सूचना व तारीख पेशी बताये विचाराधीन निर्णय किया है। प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिपोर्ट अपीलांट की उपस्थिति में तैयार नहीं की गई है। अपीलांट को आपत्ति/सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय ने डीएलसी रेट के आधार पर राशि का कोई निर्धारण नहीं किया है इस लिए कानूनी प्रावधानों के तहत ऐसे निर्णय की बिना राशि निर्णय के पालना नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट तैयार कर अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 14.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर